न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 49/2015 अपील

1.श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व. भंवरलाल अग्रवाल निवासी विवेकानन्द कॉलोनी, देवली, जिला टोंक 2.श्री सुनिल कुमार पुत्र स्व. भंवरलाल अग्रवाल निवासी साकेत कॉलोनी , देवली जिला टोंक –अपीलार्थी	बनाम	1. श्री मथूरालाल पुत्र हरदेव मीणा निवासी बोरडा तहसील देवली जिला टोंक 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा – रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
अपील विरूद्व नामान्तरण सं. 330 दिनांकित 15.03.2001
तहसीलदार जहाजपुर

उपस्थित –
1. श्री एस.एन. सोमाणी अधिवक्ता – अपीलार्थीगण की ओर से
2. रेस्पोडेण्ट सं. 01 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही आदेश

निर्णय

दिनांक 26.04.2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार जहाजपुर को बमामलें नामान्तरकरण सं. 330 निर्णय दिनांक 15.03.2001 के खिलाफ दिनांक 16.09.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्टगण ने राजस्व ग्राम कुचलवाडा खुर्द पटवार हल्का टिकड़ तहसीलदार जहाजपुर में स्थित आराजी सं. 265 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि रेस्पोडेण्ट सं. 01 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 22.11.1996 से क्रय की तब से ही अपीलाण्टगण की वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा चला आ रहा हैं। पटवार हल्का दिनांक 12.12.1996 को नामान्तरकरण सं. 330 अपीलाण्टगण के नाम खोल दिया तथा उसका इन्द्राज मूल विक्रयपत्र पर कर दिया । इस प्रकार इंद्राज से अपीलाण्टगण पूरी तरह से आश्वस्त हो गये कि उपरोक्त वर्णित क्रयशुदा आराजी अपीलाण्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है, लेकिन तत्पश्चात् बिना किसी कारण के रेस्पोडेण्ट सं. 02 द्वारा दिनांक 15.03.2001 को यह वर्णित करते हुए कि खरीददार ने बावजूद तकाजा मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं । इस कारण नामान्तरण खारिज किया जाता हैं । अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं । दिनांक 24.08.2015 को अपीलाण्टगण ने राजस्व रिकार्ड देखा तो उक्त आराजी उनके नाम दर्ज नहीं होना पाया । तत्पश्चात् जानकारी करने पर यह ज्ञात

हुआ कि तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनांक 15.03.2001 को ही नामान्तरण खारिज कर दिया । दिनांक 28.8.2015 को नामान्तरण की नकल प्राप्त कर तहसीलदार जहाजपुर के समक्ष मूल विक्रयपत्र के साथ निवेदन किया कि तत्समय ही पटवार हल्का को मूल विक्रय पत्र दे दिया गया तथा पटवार हल्का ने ही मूल विक्रयपत्र पर इंतकाल सं. 330 का इंद्राज किया । इस कारण अपीलाण्टगण के नाम पर नामान्तरण दर्ज किया जावे , लेकिन तहसीलदार जहाजपुर द्वारा अपीलाण्टगण को यह अवगत कराया कि उनके द्वारा नामान्तरण खारिज कर दिया गया । इस कारण अब पुनः नामान्तरण दर्ज नहीं कर सकते । इसके लिये अपील कर आदेश लाने बाबत कहा । इस कारण अपीलाण्टगण की ओर से यह अपील जानकारी से अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । फिर भी अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हैं। अतः निवेदन हैं कि अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरण सं. 330 के अनुसार दिनांक 15.03.2001 को तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पारित आदेश को खारिज करते हुए अपीलाण्टगण के नाम ग्राम कुचलवाड़ा खुर्द पटवार हल्का टिकड़ तहसील जहाजपुर की खरीदशुदा आराजी सं. 265 का नामान्तरण अपीलाण्टगण के नाम खोले जाने का आदेश प्रदान फरमावें ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 5.10.2015 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किये गये । अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 31.01.2017 को अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड प्राप्त हुये ।

अपीलार्थीगण अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। रेस्पोडेण्ट सं.01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने से रेस्पोडेण्ट सं. 01 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं ।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्टगण ने राजस्व ग्राम कुचलवाडा खुर्द पटवार हल्का टिकड़ तहसीलदार जहाजपुर में स्थित आराजी सं. 265 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि रेस्पोडेण्ट सं. 01 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 22.11.1996 से क्रय की तब से ही अपीलाण्टगण का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा चला आ रहा हैं। पटवार हल्का दिनांक 12.12.1996 को नामान्तरकरण सं. 330 अपीलाण्टगण के नाम खोल दिया तथा उसका इन्द्राज मूल विक्रयपत्र पर कर दिया । इस प्रकार इंद्राज से अपीलाण्टगण पूरी तरह से आश्वस्त हो गये कि उपरोक्त वर्णित क्रयशुदा आराजी अपीलाण्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है, लेकिन तत्पश्चात् बिना किसी कारण के रेस्पोडेण्ट सं. 02 द्वारा दिनांक 15.03.2001 को यह वर्णित करते हुए कि खरीददार ने बावजूद तकाजा मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं । इस कारण नामान्तरण खारिज किया जाता हैं । अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं ।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को

दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम कुचलवाडा खुर्द तहसील जहाजपुर के आ.नं. 265 रकबा 01.05 बीघा भूमि किस्म गे.मु. आबादी मथुरालाल पिता हरदेव मीणा निवासी बोरडा के नाम खातेदारी से दर्ज हैं । जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 सलंग्न हैं। उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन दिनांक 27.8.1996 को तहसीलदार जहाजपुर द्वारा किया गया रेस्पोडेण्ट सं. 01 खातेदार ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 22.11.1996 को आ.नं. 265 का विक्रय अपीलाण्टगण के पक्ष में कर दिया । इस विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सं. 330 पटवारी हल्का टीकड़ द्वारा दायर किया, जिसे तहसीलदार जहाजपुर ने दिनांक 15.03.2001 से निम्न आदेश पारित करते हुये खारिज कर दिया हैं– **" रिपोर्ट पटवारी अनुसार खरीददार ने बावजूद तकाजा मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया नामान्तरकरण खारिज किया जाता हैं।"** तहसीलदार जहाजपुर के उक्त आदेश में जो कारण अंकित किये हैं, वे कारण विधि सम्मत नहीं हैं। जबकि पंजीबद्ध दस्तावेज के संबंध में उप पंजीयक द्वारा प्रपत्र तहसीलदार को प्रेषित किया जाता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य ठहरती हैं । अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत स्वीकार की जाती हैं। प्रकरण रिमाण्ड कर तहसीलदार जहाजपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलाण्टगण के रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 22.11.1996 के आधार पर नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण कार्यवाही करें । निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/04/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा